fgekpy izns'k fo/kku lHkk lfpoky;

अधिसूचना

दिनांक, 2 दिसम्बर, 2025

la[;k fo0l0&fo/kk;u&fo/ks;d @1&137@2025-&&हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2025 dk fo/ks;d la[;kad 24-

fgekpy izns'k nqdku vkSj okf.kfT;d LFkkiuk ¼la'kks/ku½ fo/ks;d] 2025

[k.Mksa dk Øe

[k.M %

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।
3. धारा 13 का संशोधन।

———————

2025 dk fo/ks;d la[;kad 24-

fgekpy izns'k nqdku vkSj okf.kfT;d LFkkiuk ¼la'kks/ku½
fo/ks;d] 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **fo/ks;d** ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

UNCOMPLYCATE
Simplifying Compliance

1- laf{kIr uke-&&इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन), अधिनियम, 2025 है।

2- /kkjk 7 dk la'kks/ku-&&हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 की उप–धारा (2) के परन्तुक (क) में, ''पचास'' शब्द के स्थान पर ''एक सौ चौतालीस'' शब्द रखे जाएंगे।

3- /kkjk 13 dk la'kks/ku-&&मूल अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (1) में, ''प्रत्येक स्थापन का नियोजक'' शब्दों के पूर्व ''दस या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

———————

mís'; ksa vkSj dkj.kksa dk dFku

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिजिक स्थापना अधिनियम, 1969 को दुकानों और वाणिज्यिक स्थापना में कार्य और नियोजन की शर्तों को विनियमित करने हेतु लगभग 50 वर्ष पूर्व अधिनियमित किया गया था। इसके अधिनियमित किए जाने के पश्चात् महत्वपूर्ण संस्थागत तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के दृष्टिगत अधिनियम के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ताकि उसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके।

वर्तमानतः, अधिनियम की धारा 7 ओवरटाइम संकर्म को किसी तिमाही में पचास घण्टे तक सीमित करती है। ओवरटाइम मानदेय के संदाय को साधारण घण्टों की मजदूरी से दोगुना करने के अध्यधीन इस सीमा को किसी तिमाही में, प्रति तिमाही एक सौ चौतालीस घण्टों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कर्मचारियों को और अधिक आय के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, अधिनियम वर्तमानतः समस्त स्थापनों हेतु रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य करता है। अतः इस अपेक्षा को दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों के लिए ही सीमित किए जाने का प्रस्ताव है। इस युक्तिकरण से राज्य में व्यवसाय को और अधिक प्रोत्साहित करने की अपेक्षा है। अतः हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 में संशोधन किया जाना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

¼g"kZo/kZu pkSgku½
(प्रभारी मंत्री)।

धर्मशाला
तारीख.............................., 2025.

——————

foÙkh; Kkiu

–शून्य–

——————

iz'kkflr fo/kku lEcU/kh Kkiu

–शून्य–

——————

UNCOMPLYCATE
Simplifying Compliance

fgekpy izns'k nqdku vkSj okf.kfT;d LFkkiuk ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2025

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **fo/ks;d** ।

¼g'kZo/kZu pkSgku½
प्रभारी मन्त्री।

&&&&&&&&&&&&

सचिव (विधि)।

धर्मशालाः
तारीख : ...., 2025

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 24 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 7.
3. Amendment of section 13.

Bill No. 24 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

UNCOMPLYCATE
Simplifying compliance

further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called as the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in proviso (a) of sub-section (2), for the word "fifty", the words "one hundred forty four" shall be substituted.

3. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "every establishment", the words "employing ten or more employees" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 was enacted over fifty years ago to regulate the conditions of work and employment in shops and commercial establishments. In view of the significant institutional and socio-economic changes since its enactment, certain provisions of the Act require revision to enhance its relevance and effectiveness.

Section 7 of the Act, presently restricts overtime work to fifty hours in a quarter. It is proposed to enhance this limit to one hundred and forty four hours per quarter, subject to the payment of overtime remuneration at twice the normal hourly wages, so as to provide employees with greater earning opportunities. Further, while the Act currently mandates registration for all establishments, it is proposed to limit this requirement to the establishments employing ten or more persons. This rationalisation is expected to facilitate ease of doing business in the State. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(HARSHWARDHAN CHAUHAN)
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA
THE.........................., 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

UNCOMPLYCATE
Simplifying Compliance

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).

(HARSHWARDHAN CHAUHAN)
Minister-in-Charge.

Secretary (Law).

DHARAMSHALA:
THE……………………, 2025.

UNCOMPLYCATE
Simplifying Compliance